न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

तारीख रजू:–16.03.2022

मु0न0: 12/2022

जी.सी.एम.एस. नंबर:–2022/72

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. मोहन पुरी पुत्र जगन्नाथ पुरी जाति गोस्वामी निवासी मुरली मनोहरपुरा हाल निवासी प्लॉट नंबर 2, मंगल विहार, गोनेर रोड, लुनियावास, जयपुर।
2. मु. घीसी पुत्री मदन पत्नि रतन पुरी गोस्वामी, निवासी अरनिया, तहसील पीपलू, जिला टोंक।

वादीगण

बनाम

1. शिवजी उर्फ श्योजी पुरी दत्तक पुत्र रामकुंवार गोस्वामी, प्लॉट नंबर 8, मंगल विहार, गोनेर रोड, लुनियावास, जयपुर।
2. मधु पुत्री मदन पत्नि गोपाल गुंसाई, निवासी सागरिया, जिला भीलवाड़ा।
3. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

वकील वादीगण:– श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2:– एकपक्षीय कार्यवाही

वकील प्रतिवादी संख्या 3:– पैरोकार सरकार

दावा बाबत् उद्घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक 08.12.2025

–: निर्णय :–

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण:–

1. यह है कि प्रतिवादी संख्या 3 के अलावा उभयपक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादी के पिता जगन्नाथ थे, जबकि वादी नंबर 2 के पिता मदनपुरी वादी का खास भाई था। मदनपुरी के पुत्र औलाद नहीं थी, उनके मधु व घीसी [illegible] रूप से वारिस हैं। वादी के तीसरा भाई श्योजी पुरी था, जो [illegible] के अन्य सदस्य रामकुंवार पुत्र किशनपुरी के गोद चला [illegible] के वादी व मदन ही दो पुत्र शेष रहे, इनमें मदनपुरी की मृत्यु हो चुकी है। [illegible] खानदान निम्नानुसार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

जगन्नाथ पुरी

- मोहरपुरी (वादी संख्या 1)
- शिवजी उर्फ श्योजी पुरी गोद पुत्र रामकुंवार (प्रतिवादी संख्या 1)
- मदनपुरी
  - घीसी (वादी संख्या 2)
  - मधु (प्रतिवादी संख्या 2)

ग्राम मुरली मनोहर पुरा में वादी के पिता जगन्नाथ की खातेदारी की भूमियाँ खाता सख्या 44 में खसरा नंबर 1071,1106, 1107, 1251, 1372, 394, 402, 774, 775, 912 व 913 कुल किता 11 रकबा 3.54 हेक्टेयर भूमि स्थित हैं इसी तरह खाता संख्या 45 में खसरा नंबर 397,398,399 एवं 400 कुल किता 4 रकबा 0.60 हेक्टेयर भूमि स्थित हैं। वादी के पिता जगन्नाथ की मृत्यु 05.09.1990 के पश्चात् उनकी विरासत के बारे में तत्कालीन राजस्व कर्मियों ने विस्तृत जाँच नहीं की और सरसरी तौर पर ही श्योजी पुरी को राम कुंवार गोस्वामी के गोद जाने के तथ्यों को उजागर नहीं किया और दिनांक 13.06.1992 को नामांकन संख्या 14 तस्दीक कर राजस्व रिकॉर्ड में श्योजी पुरी को तीसरे पुत्र के रूप में अंकित कर दिया । मृतक जगन्नाथ जी के तीन पुत्र जरूर थे किन्तु श्योजी पुरी के गोद चले जाने के कारण उनकी विरासत के हकदार वादी व उसका भाई मदन ही शेष रह गए थे । इसके विपरीत राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नंबर 2 शिवजी को गलत ढंग से अंकित करने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हो गयी। इस स्थिति का प्रतिवादी नंबर 2 अनुचित रूप से दोहरा लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हैं। प्रतिवादी शिव जी उर्फ श्योजी का रामकुंवार का दत्तक पुत्र बनने के बाद उसके प्राकृतिक पिता जगन्नाथ की संपत्ति से समस्त हक व अधिकार समाप्त हो गए थे। राम कुंवार द्वारा प्रतिवादी श्योजी को दत्तक पुत्र लेने के सम्बन्ध में एक रजिस्टर्ड गोद पत्र दिनांक 24.08.1965 लिखा जाकर उपपंजीयक सवाई माधोपुर द्वारा तस्दीक किया गया था। विपक्षी श्योजी अपने दत्तक पिता राम कुंवार की मृत्यु के पश्चात् उनकी समस्त चल अचल संपत्ति पर पुत्र की हैसियत से काबिज़ हुआ तथा राजस्व रिकॉर्ड में राम कुंवार की की विरासत का अंकन श्योजी के नाम किया गया, जिसकी पुष्टि जमा बंदी खाता संख्या 908, 909, संवत 2033 से 2036 की प्रमाणित प्रतिलिपि से होती हैं। खाता संख्या 908 के साबिक खसरा नंबर 2715, 2967, 2968, 2990, 2992, 2996 [illegible] रामकुंवार पुत्र किशन पुरी के नाम अंकित थी। जिसकी पुष्टि संवत 2017 [illegible] से होती हैं। राम कुंवार की मृत्यु के पश्चात् दत्तक पुत्र की [illegible] के हक में दर्ज हुई जमा बन्दी खाता संख्या 908, 909 संवत 2033 से 2036 से यह [illegible] स्वयं प्रमाणित हैं। प्रतिवादी शिवजी उर्फ़ श्योजी एक लालची व् चालाक किस्म का व्यक्ति हैं उसने अपने दत्तक पिता से प्राप्त सारी संपत्ति ओने–पोने दामों पर विक्रय कर दी उसने साबित, खसरा नंबर 2996 संवत 2033 से ही बेचने की कार्यवाही शुरू कर दी। उक्त नंबर निहालचंद महाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Si
Date: 2025.12.09 12:29:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

को बेचा जिसका अंकन जमा बंदी 2033 से 36 में अंकित हैं। उसके पश्चात् विपक्षी अपने दत्तक पिता राम कुंवार की भूमि जिसका हाल खाता नंबर 74 किता 11 रकबा 2.22 हेक्टेयर हैं को दाखा देवी पत्नि राजा राम माली को विक्रय किया जिसका भी अंकन जमा बंदी संवत 2076 से 2079 में अंकित हैं। इस तरह विपक्षी राजस्व रिकॉर्ड में विरासत का गलत अंकन होने की स्तिथि का अनुचित लाभ उठा रहा हैं। उसके द्वारा दत्तक पिता रामकुंवार की भूमि का बेचान करने के बाद अब स्वयं को जगन्नाथ का पुत्र बताते हुए राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित की गयी भूमियों का ओने–पौने दामो में सौदा करना वादी गण के लिएविवाद पैदा कर रहा हैं। दिनांक 05.03.2022 को विपक्षी ने खाता संख्या 44 व 45 में अपने हिस्से में इस भूमि के बेचान के लिए गाँव में चर्चा शुरु कर दी जिसकी सूचना पाकर वादी ने विपक्षी को रोका तो उसने चेतावनी दी की सरकारी कागज में उसका नाम अंकित है इसलिए जो भूमि उसके नाम हैं उसे बेचने से कोई नहीं रोक सकता। खाता संख्या 44 व 45 में अंकित आराजियात का विपक्षी न. 1 से कोई वास्ता नहीं है बल्कि राजस्व कर्मियों द्वारा वारिशान की सही जांच नहीं करने से नामांकन संक्या 14 तस्दील कर दिया, जिसमे विपक्षी नंबर 1 का नाम हटाकर उसे दुरुस्त करावाने का अधिकार वादी गण को हैं। जगन्नाथ जी द्वारा छोड़ी समस्त आराजियात पर स्वयं वादी व उसका भाई मदन पुरी की दोनों पुत्रियों काबिज़ है प्रतिवादी श्योजी का उक्त आराजियत पर कभी कोई कब्ज़ा काश्त या हिस्सा नहीं रहा। वर्तमान में वादीगणों ने खेतों के सरसों की फसल बोई गयी है जिसे 10.03.2022 को वादी द्वारा ही कटा कर फसल तैयार करवाई हैं। विपक्षी श्योजी का जगन्नाथ जी की संपत्ति से समस्त अधिकार उसे दत्तक ग्रहण के बाद ही समाप्त हो गए यही वजह रही की जगन्नाथ जी की समस्त चल अचल संपत्ति पर उनके दो पुत्र ही काबिज़ काश्त है। वादी गण को अधिकार हासिल हैं की वे राजस्व रिकॉर्ड में श्योजी उर्फ़ शिवजी के गलत नाम के अंकन को. हटवा कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाएं तथा जगन्नाथ जी द्वारा छोड़ी समस्त आराजियात की विरासत वादी व मदनपुरी के वरिशान के नाम अंकित करवाएं। जिससे वादी गण का न्याय का मार्ग प्रशस्त हो तथा उन्हें उनके अधिकार मिल सके । इस से गलत इन्द्राज की आड़ में अनुचित लाभ हासिल करने वाले विपक्षी जैसे लोग हतोत्साहित हो सके। वादीगण अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति हैं तथा शेष दोनों महिलायें है जो अपने ससुराल में रहती हैं। मौके पर जगन्नाथ जी की समस्त आराजियात को प्रत्येक वर्ष साजे बाटे पर काश्त करवा कर निर्बाध रूप से फसल बांटते रहे है। इस कारण उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में विपक्ष का नाम अंकित होने की जानकारी नहीं हुई इस गलती के बारे में सर्वप्रथम दिनांक 05-03-2022 को [illegible] यह खातेदार की हैसियत से जमीन बेचने की धमकी देने के बाद [illegible] ज्ञात हुई इसके पहले विपक्षी ने ऐसी कोई धमकी या चेतावनी नहीं दी। विनाये दावा दिनांक 05-03-2022 को विपक्षी नंबर एक द्वारा अपने हिस्से की भूमि का सौदा कब्जे की सूचना से हुआ। इसके बाद विपक्षी द्वारा भूमि का बेचान करने के चेतावनी देने से उत्पन्न हुआ अतः यही विनाय दावा करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी नंबर 2 ने वादपत्र पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण उसे प्रतिवादी नंबर 2 बनाया गया हैं। जबकि तहसीलदार जी को लैंड होल्डर होने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Sing
Date: 2025.12.09 12:29:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

वजह से पक्षकार बनाया हैं। अतः निवेदन हैं की वापत्र निम्न अनुतोष के साथ वादी गण के पक्ष में डिग्री करने की कृपा करें ।

- उद्घोषणा इस आशय की फरमाएं की राजस्व रिकॉर्ड में मृतक जगन्नाथ पुत्र कल्याण पुरी के वारिस के तौर पर विपक्षी शिवजी उर्फ़ श्योजी के नाम से खोला गया विरासत का नामान्तरकरण संख्या 14 दिनांक 13.06.1962 गलत व अवैध है, जिसमें विपक्षी के नाम को हटा कर संशोधित किया जाये।

- राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 44 व 45 में अंकित प्रतिवादी श्योजी उर्फ शिवजी का जगन्नाथ के पुत्र के रूप में दर्ज नाम हटाया जाये।

- विपक्षी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाये कि वह जगन्नाथ द्वारा छोड़ी गई आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न करे।

- दौराने वाद वादपत्र के खाता संख्या 44 व 45 की भूमि या उसके किसी हिस्से का बेचान करने में सफल हो जाये तो ऐसे बेचान को अवैध व शून्य घोषित किया जाये।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिप्रार्थीगण जारी किये जाकर उन्हे न्यायालय में तलब किया।

3. यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किये जाने के कारण उनका जवाब बंद करते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये–

- <u>पी.डब्ल्यू.–1:–</u> मोहनपुरी पुत्र जगन्नाथ पुरी गोस्वामी
- <u>पी.डब्ल्यू.–2:–</u> रामराय पुत्र कन्हैया लाल मीना
- <u>प्रदर्श–1:–</u> स्थायी जमाबंदी दिनांक 11.03.2022 ग्राम मुरलीमनोहरपुरा खाता संख्या 44
- <u>प्रदर्श–2:–</u> स्थायी जमाबंदी दिनांक 11.03.2022 ग्राम मुरलीमनोहरपुरा खाता संख्या 45
- <u>प्रदर्श–3:–</u> मिलान क्षेत्रफल ग्राम शिवाड
- <u>प्रदर्शः–4:–</u> मिलान क्षेत्रफल ग्राम मुरलीमनोहरपुरा
- <u>प्रदर्श–5:–</u> नामान्तरकरण संख्या 14 फैसल दिनांक 13.06.1962
- <u>प्रदर्श–6:–</u> रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 24.08.1965
- <u>प्रदर्श–7:–</u> जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम शिवाड संवत् 2033–36 खाता संख्या 908 व 909
- <u>प्रदर्श–8:–</u> जमाबंदी (खेवट खतौनी) संवत् 2017–20ग्राम शिवाड खाता संख्या 580

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

5. वादीगण विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने वादपत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6. वादीगण द्वारा प्रस्तुत गोदनामा (प्रदर्श–6), जिसे 24.08.1965 को उपपंजीयक सवाई माधोपुर के समक्ष पंजीकृत किया गया था, से रामकुमार पुत्र किशनपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम आड़ाबाग को गोद लेने की पुष्टि होती है। जमाबंदी संवत् 2017–20 (प्रदर्श–8) व जमाबंदी संवत् 2033–36 (प्रदर्श–7) से यह भी साबित होता है कि जमाबंदी संवत् 2017–20 में रामकंवार पुत्र किशनपुरी, जाति गुसाई के नाम से दर्ज खसरा नंबर 2715, 2967, 2968, 2990, 2992, 2996, 2997, 3050/1, जमाबंदी संवत् 2033–36 में शिवजी वल्द रामकंवार पुरी जाति गुसाई के नाम से दर्ज है। इस प्रकार रामकंवार की उपरोक्त कृषि आराजी का शिवजी के रामकंवार के गोद चले जाने के कारण शिवजी के नाम दर्ज होने का तथ्य सामने आता है।

नामान्तरकरण संख्या 14 फैसल दिनांक 13.06.1992 (प्रदर्श–5) से स्पष्ट होता है कि जगन्नाथपुरी की मृत्यु उपरांत विरासत का नामान्तरकरण के आधार पर मदन व मोहन के साथ श्योजी के नाम पर भी नामान्तरकरण खोला गया। तदनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड स्थायी जमाबंदी दिनांक 11.03.2022 (प्रदर्श–1) में विवादित आराजी में मदन व श्योजी के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार स्थायी जमाबंदी दिनांक 11.03.2022 (प्रदर्श–2) श्योजी के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज है।

श्री मोहनपुरी पुत्र जगन्नाथपुरी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम मुरलीमनोहरपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी प्लॉट नंबर 2, मंगल विहार, गोनेरे रोड, लुनियावास, जयपुर (पी.डब्ल्यू.–1) व रामराय पुत्र कन्हैया लाल मीना, निवासी ग्राम मुरलीमनोहरपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर (पी.डब्ल्यू.–2) के बयानों से जगन्नाथ की मृत्यु दिनांक 05.09.1990 को होना प्रमाणित होता है, जबकि श्योजी रजिस्टर्ड गोदपत्र के अनुसार 24.08.1965 को गोद चला गया था। यह सुस्थापित विधि है कि गोद जाने के पश्चात् गोदपुत्र का अपने प्राकृतिक पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रहता। साथ ही गोद जाने के बाद गोदपुत्र [illegible] पिता श्री रामकंवार की संपत्ति में विरासत से अधिकार [illegible] हैं। अतः [illegible] पर पहुंचता हूं कि नामान्तरकरण संख्या 14, फैसल दिनांक 13.06.1992 [illegible] के तौर पर श्योजी पुत्र जगन्नाथपुरी का नाम गलत दर्ज हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:18 IST
Reason: SelfAttested

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मुरलीमनोहरपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के खाता संख्या 44 व खाता संख्या 45 से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाना उचित समझता हूं।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

—:आदेश:—

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं खाता संख्या 44 से श्योजी पुत्र जगन्नाथपुरी का नाम हजफ करते हुए जगन्नाथपुरी के वारिसान के कुल हिस्से में से 1/2 भाग घीसी, मधु पुत्रीयां मदन व 1/2 भाग मोहन पुत्र जगन्नाथपुरी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। इसी प्रकार खाता संख्या 45 से श्योजी पुत्र जगन्नाथपुरी का नाम हजफ करते हुए जगन्नाथपुरी के वारिसान के कुल हिस्से में से 1/4 भाग घीसी, मधु पुत्रीयां मदन व 1/4 भाग मोहन पुत्र जगन्नाथपुरी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:18 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** स्थान **चौथ का बरवाडा**

1. मोहन पुरी पुत्र जगन्नाथ पुरी जाति गोस्वामी निवासी मुरली मनोहरपुरा हाल निवासी प्लॉट नंबर 2, मंगल विहार, गोनेर रोड, लुनियावास, जयपुर।
2. मु. घीसी पुत्री मदन पत्नि रतन पुरी गोस्वामी, निवासी अरनिया, तहसील पीपलू, जिला टोंक।

बनाम

1. शिवजी उर्फ श्योजी पुरी दत्तक पुत्र रामकुंवार गोस्वामी, प्लॉट नंबर 8, मंगल विहार, गोनेर रोड, लुनियावास, जयपुर।
2. मधु पुत्री मदन पत्नि गोपाल गुंसाई, निवासी सागरिया, जिला भीलवाड़ा।
3. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

नम्बर मुकदमा 12 सन् 2022

दावा बाबत् इस्तकरारहक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती, अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट

वादीगण की ओर से **श्री अजय शेखर दवे**, एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से **एकपक्षीय कार्यवाही** की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 08.12.2025 को **श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि** खाता संख्या 44 से श्योजी पुत्र जगन्नाथपुरी का नाम हजफ करते हुए जगन्नाथपुरी के वारिसान के कुल हिस्से में से 1/2 भाग घीसी, मधु पुत्रीयां मदन व 1/2 भाग मोहन पुत्र जगन्नाथपुरी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। इसी प्रकार खाता संख्या 45 से श्योजी पुत्र जगन्नाथपुरी का नाम हजफ करते हुए जगन्नाथपुरी के वारिसान के कुल हिस्से में से 1/4 भाग घीसी, मधु पुत्रीयां मदन व 1/4 भाग मोहन पुत्र जगन्नाथपुरी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार, चौथ का बरवाडा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करे। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 08.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:18 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
सहायक कलक्टर
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)